आज़ादी का
अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष / IFMS/पे–मैनेजर / 8482–8521 दिनांक 22/03/2022

कोषाधिकारी
समस्त।

विषयः– **माह मार्च 2022 देय माह अप्रैल 2022 से वेतन बिलों से एन.पी.एस. कटौती नहीं किए जाने के संबंध में।**

वित्त एवं विनियोग विधेयक वर्ष 2022–23 पर हुई चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणा के मध्यनजर माह मार्च 2022 देय माह अप्रैल 2022 से वेतन बिलों से दिनांक 01.04.2004 एवं तत्पश्चात नियुक्त कार्मिकों (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, केन्द्रीय सरकार के कार्मिक जो राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर है, को छोड़कर) एन.पी.एस. कटौती नहीं की जानी है। यद्यपि उक्त घोषणा के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा अलग से आदेश जारी होगे तथापि उपरोक्तानुसार कार्यवाही की व्यवस्था हेतु समस्त कोषाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि माह मार्च देय माह अप्रैल 2022 के वेतन बिलों से एन.पी.एस. कटौती न होना सुनिश्चित किया जाये एवं एन.पी.एस. कटौती वाले बिलों को संबंधित विभागों को सही किए जाने हेतु लौटा दिए जाये। उक्त व्यवस्था की मॉनिटरिंग कोषाधिकारी के स्वंय के स्तर से की जावेगी एवं इसके उपरान्त भी यदि कोई एन.पी.एस. कटौती सहित बिल पारित होता है तो इसके लिए वे व्यक्तिशः उत्तरदायी होगें।

भवदीय

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.rajasthan.gov.in
e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in
Fax – 2742309, Tel- 0141-2743752